

कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्या:- 3

दिनांक:- 25.11.2010

वार :- गुरुवार

समय:- प्रातः 11.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 25.11.2010 प्रातः 11.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत | उपसभापति एवं सदस्य |
| 2. श्री फूल सिंह मीणा | सदस्य |
| 3. श्री मुहम्मद खलील | सदस्य |
| 4. श्रीमति अर्चना शर्मा | सदस्य |
| 5. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला | सदस्य |
| 6. श्री बी.एम. असावा | आयुक्त एवं सदस्य सचिव |
| 7. श्री अरुण चतुर्वेदी | उपनगर नियोजक उदयपुर |
| 8. श्री समर्थ सिंह बाबेल | सहायक अभियंता |
| 9. श्री जगदीश चन्द्र बोहरा | सहायक अभियंता |

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 8.6.10 की बैठक संख्या 2 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा सर्व समिति से की जाने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	थ्ववरण	समिति निर्णय
1.	170-194 अलीपुरा	श्रीगणेश लाल पिता शंभु लाल	<p>प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की लीज डीड हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री गणेश लाल पिता शंभु लाल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 16.6.71 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा दी गई थी जिसमे सामने का सेट बेक 6 फीट एवं तीनों तरफ तीन तीन फीट सेट बेक छोड़ते हुए भूतल की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने मौके पर स्वीकृति के विरुद्ध भूतल में सामने के सेट बेक में कमरे का निर्माण किया एवं उतर तरफ संपूर्ण सेट बेक को भवन में शामिल मिला लिया गया एवं पश्चिम तरफ तीन फीट के स्थान पर 2.6 फीट सेट बेक छोड़ा व किचन का निर्माण किया गया एवं दक्षिण तरफ तीन फीट सेट बेक छोड़ रखा है। प्रार्थी ने प्रथम तल बिना स्वीकृति के निर्माण किया एवं सामने के सेट बेक में कमरे के साथ सडक की ओर 2.6 फीट चौड़ी बालकीनी का निर्माण किया। उतर तरफ सेट बेक को भवन में शामिल मिला लिया गया एवं पश्चिम तरफ तीन फीट के स्थान पर 2.6 सेट बेक छोड़ा व किचन बनाया गया। एवं दक्षिण तरफ के सेट बेक में निकासु निकाल भवन में शामिल मिला लिया गया है। प्रार्थी स्वयं के नाम का पट्टा जारी कराना चाहता है।</p>	<p>प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सडक की तरफ निकासु बना रखा है। उसे सर्वप्रथम हटाकर फोटो प्रस्तुत करे। उसके बाद प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।</p>

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
2.	61 अशोक नगर	श्री चन्द्र शेखर पिता श्री भंवर लाल	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड की नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री भंवर लाल पिता कन्हैया लाल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है भू - खण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 8.10.67 को दी गई थी। जिसमें सामने के सेट बेक 12 फीट एवं तीनों तरफ 7'-0" 7'-0" फीट सेट बेक छोड़ने का प्रावधान था। एवं प्रार्थी को भूतल एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी हुई है। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में कमरे का निर्माण किया एवं प्रथम तल में सेट बेक में निकासु बंद बनाया गया व पीछे के सेट बेक में भी किचन टॉयलेट आदि बनाया गया व सेकण्ड फ्लोर में पीछे के सेट बेक में टॉयलेट किचन आदि बना रखा है। प्रार्थी स्वयं के नाम का नामान्तरण कराना चाहते हैं।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने नगर विकास प्रन्यास की स्वीकृति के विरुद्ध भूतल में सेट बेक में कमरे का निर्माण किया एवं प्रथम तल में निकासु बंद बनाया व पीछे के सेट बेक में अधिक निर्माण किचन टॉयलेट आदि बनाया गया एवं द्वितीय तल में भी पीछे के सेट बेक में किचन टॉयलेट आदि बना रखा है। प्रार्थी से सेट बेक में जो निर्माण है उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन करते हुए नामान्तरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
3.	29 अशोक नगर	श्री अशोक कुमार पिताश्री मोहन सिंह	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री मांगी लाल पिता राम लाल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 3.11.70 को सामने से 20 फीट व साईड से 8 फीट सेट बेक छोड़ते हुए भूतल एवं प्रथम तल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक 11.6 तक छोड़ रखा है। बाकी के सेट बेक को भवन में शामिल मिला लिया गया है एवं साईड सेट बेक लगभग 9 फीट छोड़ा गया है। जिसमें कमरा बाथ आदि बना रखा है। व सैकण्ड फ्लोर में कमरा बरामदा आदि बना रखा है। प्रार्थी नामान्तरण कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम भूखंड संख्या 29 का सबडिविजन करवाकर प्रस्तुत करे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
4.	101 खारोल कोलोनी	श्रीमति कुलसुम पति श्री जुल्फीकार अली	<p>प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रणवीर सिंह पिता हरि सिंह बाघेला के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय पत्र...से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 13.1.86 को जारी की गई थी। परंतु प्रार्थी ने भवन नहीं बनाया एवं भूखंड अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया। अंतिम रजिस्ट्री अनुसार प्रार्थी को बना हुआ भवन बेचा गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का भवन बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। प्रार्थी के मूल सेट बेक सामने से 12 फीट साईड से 5 फीट एवं पीछे से 5 फीट सेट बेक छोड़ने का प्रावधान है। मौके पर प्रार्थी ने सामने का सेट बेक 7'-8" छोड़ा गया। जिसमें सिढी बरामदा आदि बनाया गया। साईड के सेट बेक में लगभग 4'-0" कहीं 3'-0" छोड़ा गया एवं पीछे के सेट बेक में कुछ हिस्से में कमरे का निर्माण किया गया। एवं प्रार्थी ने लेवल डिफ्रेन्स होने से बेसमेंट में आशिक हिस्से में गैराज आदि बनाया गया एवं भूतल का निर्माण किया गया। प्रार्थी नामान्तरण करवाना चाहता है।</p>	<p>प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि जो सेट बेक छोड़ कर निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे। एवं जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से राशि वसूल करते हुए नामान्तरण किया जावे।</p>

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
5.	218, बापू बाजार	श्री संजय पिता श्री तुलसी राम	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड की लीज डीड/नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रानी देवी पति श्री तुलसी राम के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड.वसीयत.से प्राप्त किया है भू - खण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है/नहीं है। सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने मौके पर स्वीकृति के विपरीत एवं सेट बेक में निर्माण किया है प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीजडीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की कि प्रार्थी प्लॉट संख्या 218, बापू बाजार का नामान्तरण स्वयं के नाम चाहते है जबकि प्लॉट संख्या 218, व 219 संयुक्त रूप से एक दुकान बनी होकर व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। एवं पूर्व भवन निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध 2'-0" खुला छज्जा के स्थान पर 3'-0" बंद निकासु गोखडा बना रखा है। तथा प्रत्ये फ्लोर मे व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। समिति का प्रावधान नहीं होने से पत्रावली निरस्त की जाती है। तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम भूतल में बनी दुकान के बीच दिवार बनवाई जाकर भूखंड संख्या 218 को अलग करें। तथा यहां शॉप कम फ्लेट की योजना होने से भूतल के अलावा ऊपरी मंजिलो में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद किया जावे। प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
6.	40 ई हाथीपोल 150 वर्ग फीट व्यवसायिक	श्री मोहम्मद उमर	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड की लीज डीड हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री महोम्मद उमर के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड आवंटन पत्र से प्राप्त किया है भू - खण्ड पर पूर्व में दुकान का निर्माण बिना स्वीकृति के किया गया एवं मौके पर प्रार्थी ने टाईप डिजाइन के विरुद्ध आंतरिक परिवर्तन किया गया एवं सिढी बनाई गई। व प्रथम तल पर टीनशेडनुमा कमरे आदि का भी निर्माण किया गया जबकि उक्त क्षेत्र की टाईप डिजाईन मात्र भूतल की ही है। प्रार्थी लीज डीड निकलवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के दुकान का निर्माण किया एवं आंतरिक परिवर्तन भी किया गया। व सिढी बनाई गई। प्रथम तल में टीनशेडनुमा कमरा बनाया गया। जबकि उक्त क्षेत्र की टाईप डिजाईन मात्र भूतल में दुकान की है। प्रार्थी ने टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया जो नियमन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
7.	8, भाण बाग न्यू फतेहपुरा	श्री मोहन लाल माखीजा पंचरत्न एंटर प्राइजेज	<p>प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड की नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री ज्ञानचंद पिताचैन राम व नंद लाल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है भू - खण्ड पर प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के बनाया गया। एवं प्रार्थी ने भवन के सामने की तरफ डेढ फीट चौड़ी भू पट्टी जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग फीट है को भवन में शामिल मिला लिया गया एवं प्रार्थी ने सामने का सेट बेक डेढ फीट तक निर्माण किया साईड सेट बेक 8 फीट के स्थान पर 6'-3" तक सेट बेक छोडा गया जिसमें भी सिढी स्टोर आदि का निर्माण किया गया। एवं पीछे की तरफ 8 फीट के स्थान पर साढे सात फीट सेट बेक छोडा जिसमें स्टोर आदि का निर्माण किया। व 4 फीट निकासु भी बनाया गया। प्रथम तल मे सामने के सेट बेक में निर्माण किया एवं 3 फीट निकासु बंद बनाया गया एवं साईड सेट बेक में भी सीढी आदि बना रखी है। एवं निकासु बंद बनाया गया। व पीछे के सेट बेक में भी निकासु बनाया गया एवं प्रार्थी ने द्वितिय तल में भी सामने के सेट बेक में एवं साईड के सेट बेक में निर्माण किया। प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के बना रखा है। प्रार्थी स्वयं के नाम का नामान्तरण कराना चाहता है।</p>	<p>प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के बना रखा है। एवं सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है। प्रार्थी ने जो भूतल + दो मंजिल तक सेट बेक छोडकर निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं अतिरिक्त भूमि / भू पट्टी बाबत प्रकरण प्रशासनिक समिति में रखा जावे तथा प्रशासनिक समिति द्वारा जो भी निर्णय हो उसकी पालना के पश्चात् ही नामान्तरण ही कार्यवाही की जावे। उक्त भू पट्टी/ अतिरिक्त भूमि की न्यूनतम राशि डी एल सी दर से कम न हो यह अभिशंषा प्रशासनिका समिति में प्रेषित करें।</p>

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
8.	63 पाटो की मगरी	श्री अरुण कुमार पिता श्री फुलचंद जी	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड की नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री फुलचंद पिता शेषमल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयतनामा से प्राप्त किया है भू - खण्ड पर पूर्व में दिनांक 28.8.90 को भूतल की सेट बेक छोड़ते हुए स्वीकृति दी गई थी। परंतु प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया जिसे नगर विकास प्रन्यास द्वारा दिनांक 14.5.01 को नियमन राशि जमा करते हुए नियमन किया गया। प्रार्थी ने फस्ट फ्लोर बिना स्वीकृति के निर्माण किया एवं आंशिक निर्माण सेट बेक में भी किया गया। प्रार्थी स्वयं के नाम का नामान्तरण करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो बिना स्वीकृति के सेट बेक छोड़कर प्रथम तल में निर्माण किया। उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं सेट बेक में निर्माण की शास्ती आरिक्त दर से ली जाकर किये गये निर्माण को नियमन करते हुए नामान्तरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
9.	69 अशोक नगर	श्री कमल कुमार पिता श्री संजय जैन पिता श्री महावीर लाल	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री नंदलाल पिता गेबी लाल के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड .वसीयत..से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में दिनांक 13.8.58 को भूतल जिसमें सामने से 12 फीट एवं तीनों तरफ 7'-0" 7'-0" फीट सेट बेक छोड़ते हुए स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी साईड सेट बेक में दोनों तरफ टॉयलेट एचं निकासु बना रखा है। एवं पीछे के सेट बेक में 2'-9" सेट बेक छोड़ा जिसके ऊपर 1'-6" का निकासु बना रखा है। एवं प्रथम तल में दो कमरों का निर्माण किया जिसको भी सेट बेक में निकासु बंद बनाया गया है एवं एक टॉयलेट भी सेट बेक में बना रखा है। प्रार्थी सबडिवीजन करते हुए स्वयं के नाम का नामान्तरण कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं प्रथम तल में भी दो कमरे बिना स्वीकृति के बनाये गये जिनका निकासु सेट बेक में बंद बनाया गया एवं सेट बेक में टॉयलेट बनाया गया सो भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं प्रथम तल पर जो कमरा सेट बेक छोड़कर बनाया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे। एवं प्रार्थी से उपविभाजन शुल्क भी वसुल होगा। अतः प्रार्थी का उपविभाजन करते हुए नामान्तरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
10.	301 भुपालपुरा	श्री श्याम एस सिंघवी	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री इन्द्र सिंह पिता केवल चंद.के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रिलीज डीड .से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में प्रार्थी को 28.3.66 को भूखंड संख्या 301 पर सामने से 8'-0" एवं तीनों तरफ 4'-0" 4'-0" सेट बेक छोड़ते हुए भूतल एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में आंशिक निर्माण किया गया। एवं प्रथम तल पर पूर्व तरफ निकासु बंद बनाया गया। एवं ओपन एरिये में भी निर्माण किया गया। प्रार्थी ने भूखंड संख्या 202 का भी कुछ भाग खरीद किया गया है। जिससे संयुक्तीकरण करते हुए नामान्तरण कराना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक मे निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो फस्ट प्लोर में सेट बेक छोड़कर ओ टी एस एरिये मे निर्माण किया। उसकी लागत की 5 प्रतिशत शास्ती ली जावे एवं प्रार्थी ने भूखंड संख्या 202 का भाग भी शामिल मिलाना चाहते है। जिससे प्रार्थी के संयुक्तीकरण की राशि भी वसूल की जावे एवं प्रार्थी के नाम से नामान्तरण एवं संयुक्तीकरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
11.	25, सरदारपुरा	श्री महेन्द्र सिंह धमेन्द्र जी , गजेन्द्र सिंह भाटी	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री चन्द्र सिंह भाटी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक भाग पर से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के भवन निर्माण कर रखा है एवं नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृत उपविभाजन प्लान में प्रार्थी से 2'-6" भूमि सडक विस्तार हेतू छुड़वायी गई थी। जिसको भी शामिल मिला लिया गया है एवं प्रार्थी ने भूतल एवं प्रथम तल में सामने के सेट बेक व साईड सेट बेक व पीछे के सेट बेक में भी निर्माण किया है एवं बिना स्वीकृति के भी निर्माण किया गया है। प्रार्थी नामान्तरण करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि समिति को मौका दिखाया जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
12.	195 भुपालपुरा	श्री जगदीश सोनी पिता रोशन लाल	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति प्रतापी बाई पत्नी स्व. हेमराज शर्मा देवेन्द्र कुमार , प्यारे लाल, पुरुषोत्तम लाल प्रेमनारायण पिता हेमराज शर्मा .के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय पत्र ..से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में भूतल + दो मंजिल तक का स्वीकृति /निमयन किया गया था। उसके विरुद्ध भी प्रार्थी ने सामने एवं तीनों तरफ के सेट बेक में निकासु निकाल बंद कर लिया गया है। जो कि 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण है। जो नियमन सीमा में नहीं है। प्रार्थी स्वयं के नाम का नामान्तरण करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया वह 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण कर रखा है। जो नियमन सीमा में नहीं आता है। प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त कर प्रार्थी का सूचित करें
क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
13.	52, पाठो की मगरी	श्रीमति दामिनी चौधरी एवं श्री हर्षद चौधरी	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री छन्नु सिंह पिता खेमराज चौधरी . . के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वारीसान ..से प्राप्त किया है भू – खण्ड पर पूर्व में दिनांक 23.8.75 को सामने से 12'-0" साईड से 10'-0" एवं पीछे से 5'-0" सेट बेक छोड़ते हुए भूतल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध साईड सेट बेक 10'-0" के स्थान पर 8'-3" इंची छोड़ा एवं सेट बेक में निर्माण कर रखा है व पीछे की तरफ कुछ हिस्से में कमरे के साथ 5'-0" सेट बेक को भी शामिल मिला लिया गया है। प्रार्थी स्वयं के नाम से नामान्तरण करवाना चाहते हैं।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि स्वीकृति के विरुद्ध साईड सेट बेक एवं पीछे के सेट बेक में जो निर्माण किया। उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं प्रार्थीयों से दामिनी चौधरी, (1/2 हिस्सा) एवं हर्षद चौधरी, एवं हर्षद चौधरी की पत्नी (1/2 हिस्से) अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। हर्षद चौधरी की पत्नी के नाम पर नामान्तरण करने का शपथ पत्र भीस्टाम्प पर लिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
14.	1151 ई हिरण मगरी से 4	श्री मोहन सिंह राजावत	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/हेतू आवेदन किया है। रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड मोहन सिंह राजावत के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को यू आई टी से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन करते हुए लीज डीड चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो सेट बेक में निर्माण किया गया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से तथा भवन रेखा के मध्य निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए लीज डीड जारी की जावे। तथा लीज डीड जारी करने से पूर्व प्रार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावे। जिसमें प्रार्थी पोर्च के ऊपर भविष्य में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगा।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
15.	252 हिरण मगरी से 4	श्री पंकज देवपुरा एवं कृष्ण कुमार देवपुरा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड कृष्ण कुमार देवपुरा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को दान पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो सेट बेक में निर्माण किया गया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से तथा स्वीकृति विरुद्ध निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए संयुक्त रूप से नामान्तरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
16.	1094 हिरण मगरी से 4	श्रीमति चन्द्रकांता, राजदेव एवं संजीव दशोरा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गईं काई आपति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड रामेश्वर लाल दशोरा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को मृत्यु होने से अन्य वारिस आपने नाम करवाना चाहता है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो सेट बेक में निर्माण किया गया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से तथा स्वीकृति विरुद्ध निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते नियमन किया जावे। तथा पुत्री द्वारा रजिस्टर्ड रिलीज डीड प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा जावे एवं रिलीज डीड प्राप्त होने के पश्चात ही लीज डीड एवं नामान्तरण जारी किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	थवरण	समिति निर्णय
17.	860 हिरण मगरी से	श्री अशोक नागौरी एवं प्रदीप नागौरी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज उपविभाजन हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को यू आई टी से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नियमन कराते हुए उपविभाजन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो सेट बेक में निर्माण किया गया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से तथा स्वीकृति विरुद्ध निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। एवं उपविभाजन हेतु पत्रावली भवन अनुमति समिति में रखकर निर्णय कराया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
18.	291 हिरण मगरी से 4	श्री रूप लाल मेहता	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड हेतू आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को यू आई टी से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नियमन कराते हुए लीज डीड चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो सेट बेक में निर्माण किया गया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से तथा स्वीकृति विरुद्ध निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए लीज डीड जारी की जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
19.	1014 हि. म. से 4	श्री नरेन्द्र कुमार चौहान	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड पान कुंवर पत्नि दयाल सिंह के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फ्रंट सेट बेक में नियम से अधिक निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन नहीं किया जावे और प्रकरण को निरस्त कर प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
20.	142 पी सेंट्रल एरिया	श्रीमति स्नेहलता सनाढ्य	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड किरण देवी सोलंकी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरीत एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सर्वेयर से संपूर्ण क्षेत्र का भूखंड वाईज सर्वेयर करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पत्रावली को पुनः आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
21.	142 वाई सेंट्रल एरिया	श्रीमति सुंदर बाई	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज <u>डीड/नामान्तरण</u> हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड बाबू लाल शर्मा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरीत एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सर्वेयर से संपूर्ण क्षेत्र का भूखंड वाईज सर्वेयर करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पत्रावली को पुनः आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
22.	236 –37 रेती स्टेण्ड	श्री लोकेश जावरिया	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड कैलाशचंद पिता मूलचंद खटीक के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र एवं से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बिना स्वीकृति प्रथम तल + चार मंजिल का निर्माण कर लिया है। तथा चार फीट का सडक की तरफ बंद निकासु निकाल रखा है। जो नियमविरुद्ध है। अतः इस प्रकरण निरस्त करते हुए तत्काल धारा 194 के तहत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु राजस्व शाखा को प्रकरण भेजा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
23.	49, हि.म. से 3	श्री महेन्द्र कुमार तलेसरा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री डुंगर सिंह तलेसरा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने फ्रन्ट सेट बेक में जो निर्माण कर रखा है। उसे गिराकर फोटो प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा जावे। यदि प्रार्थी निर्माण गिराकर फोटो प्रस्तुत करता है। तो पत्रावली आगामी बैठक में रखी जावे। अन्यथा प्रकरण को निरस्त कर दिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
24.	78, हि.म. से 3	श्री दामोदर लाल दशोरा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री जेनुद्धीन जी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/ नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो सेट बेक में निर्माण किया गया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से तथा स्वीकृति विरुद्ध निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते नियमन करते हुए लीज डीड एवं नामान्तरण जारी किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
25.	4, हि.म. से 3	श्री अमनजीत सिंह	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री चरण जीत सिंह जी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/ नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखंड के भू उपयोग परिवर्तन की पत्रावली मूल पत्रावली के साथ लगाकर समिति द्वारा मौका देखकर आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
26.	700, हि.म. से 3	श्री किशन लाल सुथार	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री गोपाल लाल मंत्री के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/ नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राउण्ड + प्रथम मंजिल बिना स्वीकृति के सडक पर प्रोजेक्शन निकाल कर निर्माण कर रखा है। अतः सडक का प्रोजेक्शन एवं सडक पर निर्माण हटाकर फोटो प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा जावे। निर्माण हटाकर फोटो प्रस्तुत करने पर पत्रावली निर्णय हेतु आगामी बैठक में रखी जावे। अन्यथा प्रकरण को निरस्त कर दिया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
27.	86, हि.म. से 3	श्री रमेश भाई पटेल	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सादिक अली के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/ नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने फ्रन्ट सेट बेक में जो निर्माण कर रखा है उसे हटाकर फोटो प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा जावे। तथा सर्वेयर से उक्त भूखंड के आस पास की सर्वे कराई जावे। तथा प्रार्थी द्वारा फोटो प्रस्तुत करने के पश्चात पत्रावली पुनः आगामी बैठक में रखी जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
28.	165, हि.म. से 3	श्री प्रवीण सिंह	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अल्लानुर के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक में निर्माण कर रखा है। जो नियमन सीमा में नहीं आता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
29.	364 ए, हि.म. से 3	श्री राकेश परमार	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री ज्योति परमार के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को मृत्यु होने से वारीसान के रूप में प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत की दर से लेते हुए प्रार्थी तथा मृतक के अन्य वारिसों के नाम से संयुक्त रूप से नामान्तरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
30.	123, हि.म. से 3	श्री निर्मला चौधरी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति हुसैना बाई के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत की दर से लेते हुए लीज डीड एवं नामान्तरण जारी किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
31.	313, हि.म. से 3	श्री किशन सिंह मोर्य	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री लुकमान हुसैन के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फ्रंट सेट बेक में निर्माण कर रखा है। जो नियमन सीमा में नहीं आता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	थववरण	समिति निर्णय
32.	31, हि.म. से 11	श्रीमति विजेता शर्मा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सैनिक जोशी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रथम मंजिल बिना स्वीकृति के एवं टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्मित की है। तथा सडक पर भी निकासु निकाल रखा है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
33.	128, हि.म. से 11	इन्सीटीट्रयूट ऑफ इंजीनियर्स	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड यू आई टी से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए लीज डीड जारी की जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
34.	478, हि.म. से 11	श्री मनीष जैन	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री ललित एवं रेखा सिंघानी, गोकुल चंद के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत तथा गैराज की जगह कमरे की शास्ती 5000/- रूपये वसूल करते हुए नामान्तरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
35.	176, माली कोलानी	श्री अरविंद शर्मा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को दान पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए लीज डीड /नामान्तरण किया जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
36.	88 हि. म. से 6 उदयपुर	श्रीमति चौसर बाई	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के लीज डीड/नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री गंगागिरी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड/नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सर्वेयर से कोलोनी की सर्वे कराकर पुनः आगामी बैठक में रखकर निर्णय किया जावे।
क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
37.	29 ए, किशनपोल	श्रीमति नजमा गोरी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री उदय लाल वैरागी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सर्वेयर से आस पास की सर्वे कराकर तथा रोड पर किये प्रोजेक्शन को हटाकर फोटो प्रस्तुत करने हेतू प्रार्थी को पत्र लिखा जावे। प्रकरण आगामी बैठक में सर्वेयर की रिपोर्ट के साथ रखा जावे।

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
38.	710, हि.म. से 5	श्री सुनील मल्लारा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री कन्हैयालाल सालवी के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखंड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित एवं सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नामान्तरण किया जावे।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:- नपउ/कौशा/10-11/
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

दिनांक:-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद, उदयपुर।
5. श्री/ श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद, उदयपुर।
8.शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

